तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
09.04.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/—रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना—पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सख्या 202 की आराजी नम्बर 1309 रकबा 0.8300 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के [illegible] नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी [illegible] की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की [illegible] करें। पत्थगढ़ी हुक्मनामा / आदेश [illegible] जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जि[illegible] प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:22:53 IST
Reason: SelfAttested